आकाशवाणी श्री विजयपुरम

दिनांक : 04.08.2026 समय : 0705

<><><><><><><><>

1. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण की ओर से ट्राई माय कॉल के नये संस्करण का शुभारंभ किया गया।
2. विद्युत विभाग ने 20 किलो वाट तक के स्वीकृत भार वाले अनिवार्य प्रमाणित टेस्ट रिपोर्ट के स्थान पर स्व–सत्यापित टेस्ट रिपोर्ट की अनुमति दी है।
3. अण्डमान निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति ने संचालन सहमति के लिए UCAMS पोर्टल पर आवेदन जमा करने की सलाह दी।
4. अण्डमान निकोबार एम्पोरियम – 'सागरिका' के विभागीय आउटलेट के माध्यम से विपणन सहायता के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए हैं।

<><><><><><><><>

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ने कल ट्राई माय कॉल के नये संस्करण का शुभारंभ किया। यह एक मोबाइल एप्लिकेशन है, जो दूरसंचार उपभोक्ताओं को वॉइस कॉलिंग अनुभव का सीधा मूल्यांकन करने और रिपोर्ट करने में सक्षम बनाता है। ट्राई माय कॉल एक नागरिक–केंद्रित डिजिटल प्लेटफॉर्म है। यह दूरसंचार उपभोक्ताओं को प्रासंगिक नेटवर्क मापदंडों के साथ–साथ अपने वॉइस कॉलिंग अनुभव पर वास्तविक समय में प्रतिक्रिया साझा करने का अधिकार देता है। यह प्लेटफॉर्म प्राधिकरण को वास्तविक उपभोक्ता प्रतिक्रिया के आधार पर दूरसंचार नेटवर्क में अनुभव की गुणवत्ता का आकलन करने में सक्षम बनाकर साक्ष्य–आधारित नियामक निरीक्षण को भी मजबूत करता है। ट्राई माय कॉल एप्लिकेशन को एंड्रॉएड फोन पर गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल किया जा सकता है।

<><><><><><><><>

विद्युत विभाग की ओर से सार्वजनिक सेवाओं को सरल बनाने और प्रक्रियात्मक देरी को कम करने के उद्देश्य से कम जोखिम वाले उपभोक्ताओं के लिए बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण सुधार की शुरुआत की है। प्रशासन ने नियमावली 33 के तहत छूट देते हुए 20 किलो वाट

तक के स्वीकृत भार वाले अनिवार्य प्रमाणित टेस्ट रिपोर्ट के स्थान पर स्व–सत्यापित टेस्ट रिपोर्ट की अनुमति दी है। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा और विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) नियमावली, 2023 के अनुसार केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण की सिफारिशों के आधार पर और उपराज्यपाल के अनुमोदन से अधिसूचना को प्रशासन के असाधारण राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। इस सुधार से बिजली उपभोक्ताओं को लाभ होगा। इसके साथ ही केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा निर्धारित सभी लागू विद्युत सुरक्षा मानकों का पालन जारी रहेगा।

<><><><><><><>

पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सेवा विभाग ने पूर्व निर्धारित समय सारिणी के अनुसार पूरे द्वीपसमूह में मवेशियों के लिए बांझपन निवारण शिविरों के आयोजन किए जा रहे हैं। इन शिविरों का उद्देश्य वैज्ञानिक हस्तक्षेपों के माध्यम से मवेशियों के प्रजनन स्वास्थ्य में सुधार करना, गर्भाधान दर को बढ़ाना और डेयरी विकास को बढ़ावा देना है। विभिन्न स्थानों पर शिविर आयोजित कर पशुओं की जांच कर मल्टीविटामिन इंजेक्शन जैसी दवाएं दी गईं।

<><><><><><><>

राज्य बाल संरक्षण समिति की ओर से न्यू वंडूर बीच पर 'बाल अधिकार और उत्तरदायित्व' विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन राज्य बाल संरक्षण समिति के कार्यक्रम प्रबंधक द्वारा नशीली दवाओं की मांग में कमी के लिए राष्ट्रीय कार्य योजना और यूनिक डिसएबिलिटी आईडी योजना के सहयोग से किया गया। इस अवसर पर कार्यक्रम प्रबंधक ने मिशन वात्सल्य के उद्देश्यों पर प्रकाश डालते हुए सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से बच्चों की देखभाल, संरक्षण, पुनर्वास और समग्र विकास सुनिश्चित करने के महत्व पर जोर दिया। इस दौरान प्रतिभागियों को किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के तहत बाल कल्याण समिति की भूमिका पर जानकारी दी गई।

<><><><><><><>

अण्डमान निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सभी उद्योगों, प्रतिष्ठानों, संस्थानों, स्वास्थ्य सुविधाओं, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाओं, स्थानीय निकायों, बुनियादी ढांचा परियोजनाओं और अन्य हितधारकों से संचालन सहमति के लिए आवेदन यूनीफाइड कंसेंट मैनेजमेंट एंड मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा करने को कहा गया है। ANPCC द्वारा जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 तथा अन्य लागू पर्यावरण नियमों, अधिनियमों और दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुपालन के अधीन संचालन सहमति के आवेदनों पर विचार और प्रसंस्करण किया जाएगा। समिति ने बिना किसी वैध संचालन सहमति के संचालित हो रहे सभी उद्योगों और हितधारकों को जल्द से जल्द UCAMS पोर्टल के माध्यम से अपने आवेदन जमा करने और समय पर प्रसंस्करण की सुविधा के लिए ऑनलाइन आवेदन के साथ सभी आवश्यक जानकारी और सहायक दस्तावेज़ अपलोड करने की सलाह दी है। अधिक जानकारी के लिए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग से संपर्क किया जा सकता है।

<><><><><><><>

अण्डमान निकोबार एम्पोरियम – 'सागरिका' के विभागीय आउटलेट के माध्यम से विपणन सहायता प्राप्त करने के इच्छुक सभी स्थानीय पंजीकृत स्वयं सहायता समूह सहकारी समितियों, एसएमई, कारीगरों और हस्तशिल्प उत्पादों के निर्माण में लगे व्यक्तियों से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सभी इच्छुक आवेदक स्वीकृति और अंतिम बिक्री मूल्य निर्धारण के लिए 19 अगस्त, तक हस्तशिल्प उत्पादों की प्रस्तावित कीमतों, नमूनों और प्रत्येक नमूने की तस्वीरों के साथ निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र सागरिका के सभी आउटलेटों, सहायक निदेशक कार्यालय और विभाग के सभी विस्तार कार्यालयों में उपलब्ध है।

<><><><><><><>

पांडिचेरी विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026–27 के लिए विभिन्न विषयों में बची हुई कुछ रिक्त सीटों पर स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आयोजित होने वाली विशेष प्रवेश परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि कल तक के लिए बढ़ा दी है। परीक्षा 9 अगस्त को 2 पालियों में ब्रुक्शाबाद

स्थित पांडिचेरी विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित की जाएगी। प्रवेश पत्र 6 अगस्त से विश्वविद्यालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

<><><><><><><>

मत्स्य विभाग ने द्वीपसमूह के स्वयं सहायता समूहों से विभाग के मत्स्य संग्रहालय–सह–जलजीव गृह परिसर में बिक्री केंद्र स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इस बिक्री केंद्र के माध्यम से मत्स्य उत्पादों तथा विभाग द्वारा अनुमोदित अन्य वस्तुओं की बिक्री की जाएगी। इच्छुक स्वयं सहायता समूह दस्तावेजों के साथ अपने संबंधित खंड विकास अधिकारी की अनुशंसा सहित आवेदन 16 अगस्त तक विभाग के सहायक निदेशक के पास जमा कर सकते हैं।

<><><><><><><>

समाचार पत्रों की सुर्खियां

द डेली टेलीग्राम ने समुद्र मंथन नेशनल ऑफशोर एक्सप्लोरेशान योजना के तहत कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी और अंडमान क्षेत्र के जल बेसिनों में हाइड्रोकार्बन क्षमता निहित होने के समाचार को अपनी हेडलाइन बनाई है। **द्वीप समाचार** ने विद्युत विभाग की ओर से कम जोखिम वाले विद्युत उपभोक्ताओं के लिए बिजली कनेक्शन प्राप्त करने की प्रक्रिया सरल करने के समाचार को प्रमुखता दी है। मेरा युवा भारत के तहत रंगत में स्वच्छता अभियान चलाने के समाचार को **द अंडमान एक्सप्रेस अंग्रेजी** में जगह मिली है। टीएसजी भास्कर द्वारा सभी सरकारी विभागों में सिटिजन चार्टर को सख्ती से लागू करने की मांग के समाचार को **इंफो इंडिया** ने, जबकि **द इको ऑफ इंडिया** ने भारत के 2030 में राष्ट्रमंडल खेलों की जिम्मेदारी लेने के समाचार को खेल पृष्ठ में प्रकाशित किया है।

<><><><><><><>